कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ।

पत्रांक 1944 /33–वि0नि0/आगणन/2024–25 दिनांक 25 नवम्बर, 2024।

खण्ड विकास अधिकारी,
गंगोलीहाट।

1. माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट की विधायक निधि वर्ष 2024–25 मे निम्न योजनाये प्रस्तावित की गयी है। जिसकी कार्यदायी संस्था आपको नामित किया गया है। इस क्रम मे अवगत कराना है कि निम्न योजना के आगणन/कोटेशन/टैण्डर प्रकिया/तुलनात्मक चार्ट इस कार्यालय मे एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायें ताकि प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त आपकी योजनाओ की धनराशि अवमुक्त की जा सके। इस सम्बन्ध मे शासन ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड के पत्रांक 537/XI /07/51(01)2007 दिनांक 23.07.2007 से प्राप्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगी कि न्यूनतम मूल्य व संतोषजनक विशिष्टताओं की सामग्री ही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार क्रय की जायेगी। सामग्री क्रय करने से पूर्व सामग्री के मूल्य व गुणवत्ता का बाजार सर्वे करते हुए पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ही कोटेशन/तुलनात्मक चार्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। यदि सामग्री क्रय उपरान्त बचत शेष होती है, तो इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे ताकि तदनुसार मा० विधायक को अवगत कराया जा सके।

3. निर्माण कार्यो मे समय–समय पर अवर अभियन्ता तथा सहा0 अभि0 द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षण किया जाय।

4. आपको यह भी अवगत कराना है कि वर्ष 2017–18 के उपरान्त विधायक निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यो की Geotagging कराई जानी अनिवार्य है तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे स्वीकृत कार्य उसी वर्ष मे पूर्ण कराये जाने आवश्यक है। वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण न होने पर अथवा धनराशि समर्पण होने पर कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होगी।

5. अशासकीय विद्यालयो मे विद्यालयी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति भी आगणन के साथ प्रस्तुत करे।

6. कार्यदायी संस्था यह भी सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य मद से धनराशि स्वीकृत नही है।

7. अ0जा0/ज0जा0 हेतु स्वीकृत कार्य अ0जा0 /ज0जा0 बस्ती मे ही कराये जाय तथा अ0जा0/ज0जा0 बस्ती निवास का प्रमाण पत्र भी आगणन के साथ प्रस्तुत किया जाय।

8. योजना मे विवाद/ कार्य विलम्ब होने की स्थिति मे तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना होगा।

9. योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ या सम्बन्धित कर्मचारी की उपस्थिति में लिया गया हो आगणन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. योजना के अन्तर्गत कोई भी निर्माण कार्य किसी भी स्थिति मे व्यक्तिगत भूमि मे न किया जाये।

11. आगणन प्रेषित करते समय कार्य सामुदायिक होने की स्थिति में कार्यस्थल की भूमि संबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रति जिससे यह प्रमाणित हो सके की उक्त निर्माण कार्य निजी भूमि पर नही किया जा रहा है) भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस पत्र द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्व मे किसी अन्य [illegible] द्वारा [illegible] कार्य नही कराया गया है/ कराया जा रहा है। यदि कार्य पूर्व से किया गया है अथवा किया जा रहा है तो धनराशि वापस प्रेषित की जाय तथा योजना यदि व्यक्तिगत लाभार्थी के लाभ हेतु प्रतीत होती है तो निर्माण कार्य सम्पादित न किया जाय।

13. विधायक निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में किसी भी प्रकार का क्रय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली का पूर्ण पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा तथा सोलर लाईट क्रय में गुणवत्ता/रख–रखाव इत्यादि उरेडा [illegible] किया जाएगा। उक्त योजनाओं मे शासन द्वारा CAG/AG [illegible] सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

क्र0 सं0	पूर्व में प्रस्तावित कार्य का नाम	संशोधित कार्य का नाम	विकास खण्ड	गात्राकृत योजना	वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रु0	मा० विधायक द्वारा संस्तुत कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रा0इ0का0 बुशैल मे किचन मरम्मत कार्य	मुख्य सड़क से रा0प्रा0वि0 [illegible] हेतु सार्वजनिक सी0सी0 कार्य	गंगोलीहाट	सामान्य	2024-25	1.50	विकास खण्ड गंगोलीहाट
		कुल				1.50	

टिप्पणी– 1 अवशेष कार्यों की स्थिती मे आगणन उपलब्ध कराते समय पूर्व के कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
2 आगणन तकनीकी स्वीकृति उपरान्त ही उपलब्ध करायें।

ह0/–
(डा0 दीपक सैनी)
मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ।

प्रतिलिपि– मुख्य विकास अधिकारी महोदय पिथौरागढ को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला विकास अधिकारी
पिथौरागढ।

Scanned with CamScanner